

The Telecommunications Bill, 2023

MR. CHAIRMAN: Now, the Telecommunications Bill, 2023. Shri Ashwini Vaishnaw to move a motion for the consideration of the Telecommunications Bill, 2023.

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I move:

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I welcome the Telecommunications Bill, 2023. It was introduced in the Lok Sabha on 18th December and passed. It repeals the Indian Telegraph Act, 1885, the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933, the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950. It also amends the Telecommunication Regulatory Authority of India Act, 1997. The telecom related activities provides for prior authorisation from the Central Government. Any person intending to provide telecommunication services, establish, operate, maintain or expand telecommunication network, or possess radio equipment, shall obtain an authorisation from the Central Government. The existing licences will continue to be valid for a period of five years, where the period is not specified. I think this is a very fair point that is being made by the Bill and I support that. In terms of assignment of spectrum, the spectrum would be assigned by auction, except for the specified uses where it is allocated on an administrative basis. This will include purposes such as national security and defence, disaster management, weather forecasting, transport, satellite services, etc. I think it is a very good move that is being made by the Government through this Bill to ensure that a

natural resource like spectrum is auctioned. I commend the hon. Minister for that. In terms of powers of interception and search, messages between two people may be intercepted and monitored, based on certain grounds which include very specific prescribed grounds relating to the security of the State, prevention of incitement of offences and public order since we have many border States where cross-border terrorism is very rampant. Therefore, it is very essential that such things are there. My only request to the hon. Minister would be that whatever be the role of the States in terms of this process if, during his reply, he would explain them, it will be much easier for us to understand how powers, interceptions and searches would work out between the Centre and the States. In terms of powers to specify standards that have been provided, right of way over public or private property for facility providers to establish telecom infrastructure has been provided for. It is a very good provision.

Now, regarding protection of the users, in this Bill, it is provided that there will be certain measures to protect the users, which also include prior consent to receive specified messages such as advertising messages, creation of 'Do Not Disturb' registers and mechanism to allow users to report malware or specified messages. I think, this is the need of the hour, especially with the kind of messaging and the kind of malware that we see today.

In terms of appointment to the TRAI, the Bill amends the TRAI Act to allow individuals with, at least, 30 years of professional experience to serve as the Chairperson and, at least, 25 years of professional experience to serve as members. It actually enhances and escalates it to a much higher level. I believe, this is a wonderful thing going forward.

Then, the Digital Bharat Nidhi is a very wonderful proposal that has been made. The Universal Service Obligation Fund was established under the 1885 Act, to provide for telecom services in the under-served areas, like the State of Odisha and others. Now, the Bill retains this provision and renames the Fund as the Digital Bharat Nidhi and allows its use for research and development.

Then, various offences and penalties have been specified. I have got only a minute to conclude. So, I will not dwell much on it, but specific provisions in terms of criminal and civil offences have been provided. For example, if someone provides telecom services without authorization or gains unauthorized access to a telecom network or data, it is punishable with imprisonment up to three years, or, a fine up to Rs.2 crores, or both. I think this is a very important element in terms of providing punitive measures. The amount that has been provided is a substantial amount. Usually, we find in our laws that there are very feeble amounts that actually embolden

such mischief mongers to actually find a lot of strength, but with this kind of a measure coming in, I think, it is a very good step forward.

Apart from that, breaching terms and conditions of authorization is punishable with a civil penalty up to Rs.5 crores. I think, this is a very good step because with this step, when you have a penalty up to Rs.5 crores, it is a huge burden for anyone who thinks once or twice before doing some kind of mischief because usually, you find, in our laws, fines like Rs. 5,000 or Rs, 10,000 and that, unfortunately, emboldens the wrongdoers, but with this kind of a punitive measure at this level, it will be very substantial.

Sir, my time is over. I will just conclude by saying that the regulatory sandbox has been provided under the Bill under Clause 27. It provides regulatory sandboxes to stimulate innovation and technological advancement in telecommunications. I think this is mirroring the success of the Reserve Bank of India's sandbox in the Fintech sector, where it actually significantly influenced payments, digital KYC and financial inclusion. So, this initiative will help in providing a controlled environment for the companies to experiment with new technologies and services. It will facilitate risk management by allowing small-scale testing to identify and mitigate potential risks. It will also enhance development of safer and more reliable technologies. Additionally, the sandbox set-up aids in policy development by offering real-world data to shape effective regulations.

Sir, I have very briefly completed the measures. It was a Bill that had been there for a long time and I am grateful to the hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnaw, for bringing this Bill. It is a timely Bill, and for going forward, this Bill was very much required. With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik, and my Party, Biju Janata Dal, we support the Bill. Thank you.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसा इस मायने में है कि सदन के अंदर ऐसे बिल आ रहे हैं - IPC, CrPC और Evidence Act को बदलने वाले बिल, 168 साल पुराने न्याय से संबंधित जो कानून थे, उनको बदलने के लिए बिल आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त The Indian Telegraph Act, 1885 है, जो 138 साल पुराना है and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 और Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 - ये तीन लगभग 100 साल से ज्यादा पुराने एक्ट्स हैं, जिनमें से Indian Telegraph Act 138 साल पुराना है, इसको repeal करके नया The Telecommunications Bill, 2023 सदन में प्रस्तुत किया गया है।

मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो कॉलोनियल मानसिकता है, उससे बाहर निकलने की अपील की थी। इसलिए वैसे कानून, जो अंग्रेजों के जमाने

में बने, अब जब वे आउटडेटेड हो गए हैं, समय के अनुसार उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वैसे कानूनों को रिपील कर उनके स्थान पर नए कानून लाए जा रहे हैं।

उपसभापति महोदय, आपको याद होगा कि जब 2जी स्पेक्ट्रम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय यूपीए की सरकार थी। उस समय स्पेक्ट्रम एलोकेशन को इल्लिगल करार कर दिया गया था और सौ से ज्यादा लाइसेंस कैंसल कर दिए गए थे। उसके बाद जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कैसे किया जाए, यह एक बड़ा मुद्दा था। इसके लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि स्पेक्ट्रम का जो प्रेफरेबल मोड होगा, ऑक्शन के माध्यम से ही उसका आवंटन किया जाएगा। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अभी तक स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हुआ है, उससे सरकार को करीब 4 लाख, 30 हजार करोड़ की इनकम हुई है।

उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने 100 परसेंट एफडीआई की अनुमति प्रदान की, ताकि टेलीकॉम सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके। आज उसका परिणाम है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 25 बिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई प्राप्त हुआ है।

महोदय, 10 साल के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में जो सुधार किए गए, उन्हीं का परिणाम है कि मोबाइल बेस स्टेशंस, जो इसका मुख्य आधार हैं, जो हमारी सरकार आने के पहले या उसके आसपास 6.25 लाख थे, उनमें चार गुणा वृद्धि होकर वे 25 लाख, 50 हजार हो गए हैं। इसी तरह से ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स जहाँ 1.5 करोड़ थे, this has increased to 85 crore.

उपसभापति महोदय, 5जी का जो रोलआउट है, मैं अश्वनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना फास्ट रोलआउट हुआ है कि चार लाख से ज्यादा साइट्स 14 महीने में स्थापित हो चुकी हैं। अब सरकार 6जी को लाने में लगी है। 5जी का जमाना चला गया, अब हम 6जी के दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि जो टावर लगते थे, उनके क्लियरेंसेज में बहुत समय लगता था। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 85 परसेंट टावर के क्लियरेंसेज विदइन सेकंड्स, यानी मिनट भी नहीं, सेकंड्स के भीतर उनका आवंटन हो रहा है।

उपसभापति महोदय, इसी तरह से राइट ऑफ वे, यह जो सड़क के किनारे केबल बिछती है, बाकी चीजें बिछती हैं, वहाँ राइट ऑफ वे की जरूरत पड़ती है। जहाँ राइट ऑफ वे के एपूवल में 230 डेज़ लगते थे, now it has been reduced to only 10 days. इतना ही नहीं, सौ से ज्यादा जो कंप्लायंसेज थे, जो रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती थीं, उनको हमारी सरकार ने हटाने का काम किया है।

उपसभापति महोदय, जहाँ एक ओर हम ऑक्शन से स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर रहे हैं, वहीं पर पब्लिक इंटरैस्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एसाइनमेंट रखा है, यानी हम प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम का आवंटन कर रहे हैं। खास कर अगर मेट्रो को आवश्यकता है, कम्युनिटी रेडियो को आवश्यकता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए आवश्यकता है, डिफेंस के लिए आवश्यकता है, रेलवे के लिए आवश्यकता है, पुलिस के लिए आवश्यकता है, तो इन विभागों को या इन संस्थाओं को ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जनहित में प्रशासनिक तरीके से उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा।

उपसभापति महोदय, एक विषय, जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता है, आज संयोग से विपक्ष यहाँ पर नहीं है, नहीं तो शायद वे यह मुद्दा उठाते, वह मुद्दा है सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम

का आवंटन। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होगा, वह तकनीकी कारणों से ऑक्शन के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए प्रशासनिक तरीके से उसका आवंटन किया जाएगा।

महोदय, मैं इस संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा, जिस पर माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएँगे कि पूरे विश्व के अन्दर जो satellite है, चूंकि उसका कोई area defined नहीं है, बाकी जो spectrum है, वह तो भारत की सीमा के भीतर है, लेकिन जो satellite के spectrum का लोकेशन है, इसके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी globally auction का प्रावधान नहीं है। यह जिम्मेवारी TRAI को दी गयी है कि किस तरह से उसकी methodology होगी, उसको वह तय करेगा, उसकी प्राइसिंग के बारे में भी वह विचार करेगा।

एक और मुद्दा है, जिसकी चर्चा विपक्ष करता है कि देश के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से अगर आवश्यकता पड़ी तो telecom services को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसकी भी कई बार आलोचना होती है, लेकिन जब अमेरिका में 26/11 की घटना घटी या जब बड़े-बड़े तूफान आते हैं, तो उस समय सरकार की यह मजबूरी हो जाती है कि पूरे telecom service को वह अस्थायी तौर पर अपने हाथ में ले सके।

महोदय, यह जो telecom sector है यह, sunrise sector है, जिसको AGR (Adjusted Gross Revenue) कहते हैं, यह करीब 3 लाख करोड़ का आंकड़ा आज पार कर चुका है। पुराने एक्ट में spectrum की परिभाषा भी नहीं थी कि spectrum किसको कहेंगे। इसमें spectrum को परिभाषित किया गया है और यह प्रावधान भी किया गया है कि आपने auction में spectrum ले तो लिया है, लेकिन अगर वह unutilized है, तो उसे वापस लेने का भी प्रावधान किया गया है। आपको option दिया गया है कि अगर आपको spectrum मिला, तो आप उसकी sharing कर सकते हैं, trading कर सकते हैं। इसमें उसकी leasing का भी प्रावधान किया गया है। Allowing surrender of unutilised spectrum - अगर आपके पास spectrum है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको surrender भी कर सकते हैं।

महोदय, जो आपसी विवाद होते हैं, इसके अन्दर उनके समाधान का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई ऐसी गलती हो गयी, जिसका आपने अगर सरकार की निगाह में आने के पहले voluntary disclosure कर दिया कि हमसे यह गलती हो गयी है, आपने गलती को स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए बिना दंड के ठीक करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो dispute का resolution है, that is to be digitized और जो dispute का settlement है, उसके लिए adjudicating officers की बहाली होगी। आप TDSAT के अन्दर भी समाधान के लिए जा सकते हैं। साथ ही इसके अन्दर designated committee of appeal का भी प्रावधान किया गया है।

महोदय, एक फंड पहले से ही बना हुआ है, जो USOF के नाम से जाना जाता है। हर टेलीकॉम कम्पनी को अपने AGR का एक हिस्सा USOF में देना पड़ता है, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके सुदूर इलाकों के अन्दर टेलीकॉम नेटवर्क को ले जाया जा सके। अब उसका नाम USOF से बदल कर 'डिजिटल भारत निधि' किया गया है और अब उसका इस्तेमाल research और development के लिए भी किया जाएगा।

महोदय, एक विषय पर सरकार की आलोचना बार-बार होती है कि आपने intercept कर लिया, कहीं दो आदमी बातचीत कर रहे हैं, उन दो आदमियों की बातचीत को आपने intercept

कर लिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भी Telegraph Act में interception का प्रावधान है। यह कोई नया प्रावधान नहीं है। आज भी आप राज्यों में इसे देखते हैं। राज्यों को भी इसका अधिकार है। दो अपराधी आपस में बातचीत कर रहे हैं, वह कोई ऐसी बातचीत है, जो कि देश और राज्य की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है, तो उसको intercept करने का प्रावधान है। इसलिए इसमें यह कोई नया प्रावधान नहीं डाला गया है। वह lawful interception, जो संविधान के दायरे में है और Supreme Court के judgement के दायरे में है, उसको intercept करने का इसके अन्दर प्रावधान किया गया है।

मैं एक और बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह जो source है, जो telecom equipments हैं, ये बड़ी संख्या में बाहर से आते हैं। अब हो सकता है कि हमने इनको विदेशों से आयात किया, तो उनके hardware में वे कुछ ऐसी चीज़ लगा दें ताकि उसके द्वारा यहां पर surveillance हो सके, spying हो सके या snooping हो सके, तो इसके लिए हमने इस बिल में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की है। जो trusted source है और जो telecom network है, उसके protection की भी सरकार ने पूरी चिन्ता की है।

उपसभापति महोदय, अनचाहे कॉल्स को लेकर बड़ी संख्या में लोग परेशान रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं, लेकिन दिन भर में 10 कॉल्स आ जाती हैं, एसएमएस आ जाते हैं, मैसेजेज़ आ जाते हैं। इस तरह, साइबर क्राइम की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। इस बिल के अंदर साइबर क्राइम के साथ-साथ unsolicited, अनचाहे कॉमर्शियल कॉल्स और मैसेजेज़ को रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ, इसमें केवाईसी का भी प्रोविज़न है। अगर कोई व्यक्ति सिम लेना चाहेगा तो वह दुकान पर यूँ ही जाकर सिम नहीं खरीद सकता है, उसको केवाईसी के प्रावधानों का पूरा पालन करना पड़ेगा। मैं अश्वनी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 करोड़, 16 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस की जाँच की गई है, जिसमें 60 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस फ्रॉड पाए गए, गलत पाए गए, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया है। इसके अंदर 'सारथी' नाम से एक पोर्टल डाला गया है, ताकि मोबाइल के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है, उसको भी इसके द्वारा रोका जा सके।

उपसभापति महोदय, मैं एक और छोटी सी बात यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल के अंदर बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया गया है और उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि मेरे जैसा एक नॉन टेक्निकल आदमी भी बिल के कठिन प्रावधानों को समझ सके। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री, अश्वनी वैष्णव जी को इस 138 साल पुराने कानून को रिपील कर नए कानून बनाने हेतु इस बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपसभापति: श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी। Topic is, the Telecommunications Bill, 2023.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion and passing of the Bill.

The Bill seeks to replace the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933. The Bill makes it mandatory to obtain authorization from the Central Government to establish and operate telecommunications network, provide telecommunication services and possess radio equipment.

The Bill also states that the Spectrum will be allocated through auction, except for specified entities and purposes for which it will be assigned administratively.

One of the aspects mentioned in the Bill is that telecommunication may be intercepted on specified grounds, including security of the State, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. The Bill provides for mechanism to exercise the right of way for laying telecom infrastructure in public as well as private property. The Central Government may provide for measures to protect users such as requiring prior consent to receive specified messages and creation of a do-not-disturb register.

In recent times, it has been observed that whenever there is an agitation/protest, shutting down of internet services has become a regular feature. How long internet services were shut down, such areas have to be considered. In the Bill, it has been stated that telecommunication may be intercepted on specified grounds, including security of the state, public order, or prevention of offences. Telecom services may be suspended on similar grounds. The provision will be a serious breach of privacy of individuals. Right to privacy has been upheld by the apex court in Puttaswamy case.

Sir, as far as Andhra Pradesh is concerned, the telephones of ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the Telecommunications Bill. ...*(Interruptions)*... Please come to the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: *...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is a serious issue. It is ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is purely related to this subject. Everybody is speaking about his State. Sir, you are curtailing my right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not curtailing it. Please speak on the Bill.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is the subject. As far as the State Government, which is in power, is concerned, * ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Come to the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, it is the violation of the fundamental rights. That should be curtailed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Go to the subject.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I request the hon. Minister to take steps not to indulge in such activities by the respective State Governments and take it under the control of the Central Government itself. ...(*Interruptions*)... It is my earnest appeal to the Government. I request the Central Government to consider these types of complaints, attend to them and restrain the State Government from doing so. Thank you, Sir.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, first of all, I would like to compliment the hon. Minister and the Government for this historic Bill. I think, most importantly, after 100 years, it subsumes three Acts and brings everything together, which is a significant thing. This is, actually, a transformation of the Bill. The most important thing about this Bill as compared to the previous Bills is the fact that this is a principle-based architecture which has been given and not very minute details to make the Bill larger, thicker and bigger. What it does is that it helps in the growth of the telecom sector for which India is known. Our entire digital economy is based on this particular robustness of this architecture. This has been provided for and looked after in the Bill. In that particular process, the concept of 'right of way' has been brought in, which is one of the most innovative things. It must have come personally from the hon. Minister given his penchant for new innovations in every sector. The 'right of way' would help in ensuring that digital infrastructures, towers, etc., can go

* Not recorded.

into rural areas. Both public and private land could be acquired and the District Magistrate has been given the power. It, basically, means that it is operationally very feasible; it is not a plan which is not operational, not really acceptable or not really implementable in the field.

Sir, then, I come to my next point about the Bill. Since my Party Leader has already spoken, I just wanted to bring out certain points which I thought are very significant about this Bill and which should not be lost in the debate. The next point is that it has removed many constraints. Currently, the Telecom Department issues more than 100 types of licences, registrations and permissions. This Bill seeks to club many of those into a single authorization process. Again, it is a very significant thing for promotion and increasing tele-density in this country, particularly in those areas which are under-served or where the penetration is low. The other aspect is the aspect of sandboxes which was referred to. Here, I would like to make one suggestion to the hon. Minister. We have sandboxes in SEBI; we have sandboxes in RBI as well. But many of the sandboxes are not functioning. Many Non-Resident Indians, who have promoted many startups, often approach me that they do not know as to what to do about a particular law. They really want to contribute to India's growth but the regulators are not probably very helpful. So, the sandbox approach is a very nice approach. The only thing is that it should be made really operational and, if required, some allocation of funds should be made for this purpose so that hand-holding exercise can be done for these NRIs who have promoted startups and want to contribute to the growth of the Indian economy.

Sir, the last point which I want to make is the point relating to KYC. The Bill provides for stringent provisions for buying a SIM. Now, during the discussions in the Parliamentary Standing Committee on Finance, where I am a Member, we have often been talking about cyber security and cyber fraud issues. The main issue finally comes down as to why we cannot track those perpetrators and take action against them. It comes down to the issue of SIM, the ease with which a SIM is issued without KYC norms being stringently followed. So, what the hon. Minister has done in this Bill is that it has made KYC norms stricter. With this, I think, the kind of cyber fraud and cyber security issues which had arisen in the entire financial sector would actually decline and one can actually clamp down on them, make the law enforceable, take them to task, apprehend them and fix them in a court of law. The other point is related to traceability and anonymity. I think this debate has been there.

I wish the Members from the Opposition were there to listen to me on this because I speak on this quite a bit, while anonymity is important, anonymity cannot be absolute. Whenever there is an issue of national security, whenever there is an

issue of person's own security, then traceability also has to come in because you have to know the end-to-end point for enforcing the law, enforcing the criminal procedure codes and booking somebody under the rule of law that is existing in the country. The only advice, again, would be that since the private sector would be greatly involved in collecting these biometric particulars of individuals, the privacy of that individual citizen could probably get compromised because the private sector should actually be under the new Digital Data Protection Bill. They should actually be equally concerned as the Government bodies. But I think that particular aspect should also be a matter of concern and should be addressed by the hon. Minister in the subsequent rule-making. Thank you very much and I once again thank the hon. Minister for the Bill.

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आपने मुझे Telecommunications Bill, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश की वर्तमान सरकार पिछले दस साल से देश विकास के आयामों को सामने रखकर नीति निर्माण या नीतियों में संशोधन कर रही है। यह सरकार देशवासियों के सपने और उम्मीदों के अनुरूप 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए देशवासियों का सरकार को अभूतपूर्व सहयोग भी मिल रहा है। सरकार के विकास की गारंटी से देशहित में सभी विधेयकों को पुरजोर समर्थन मिल रहा है।

महोदय, देश के विकास में telecommunication की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विधेयक, यह बिल उपभोक्ता को उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे reforms हैं - structural reforms, spectrum reforms, WPC reforms, RoW reforms, licensing reforms हैं। सर, पहले licensing में 100 पेजेज़ लगते थे। अभी मात्र 10-12 पन्नों में licensing की प्रणाली सहज की गई है। इस बिल के माध्यम से उपभोक्ता या यूज़र के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लाए गए हैं। पहला, जो spam messages आते हैं, जिनकी वजह से लोगों को ठगने का काम होता है, उसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कई सारे केसेज़ होते हैं कि आपको एक message आता है और आप उसका reply करोगे या download करोगे, तो आपको पैसे मिलेंगे, जिससे ठगी होती थी। अभी इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर आप 'Do Not Disturb' register करते हैं, तो आपको ऐसे spam messages नहीं आएंगे। उसको कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। पहले शिकायतकर्ता को complaint करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उसको अब सरल किया गया है। अब online शिकायत निवारण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका नाम 'सारथी' रखा गया है। उससे online complaint को सुनिश्चित किया जा सकता है। पहले किसी और के नाम से sim card लेकर धोखाधड़ी होती थी। हमने कई बार देखा है कि नकली sim card या bogus sim card से बैंक से पैसे निकाले जाते थे, crime करने के लिए दूसरों के नाम के sim card का उपयोग किया जाता था। अब किसी और के नाम से नकली sim cards मिलना इस बिल की वजह से असंभव हो चुका है। Spectrum license को सरल किया गया है। पहले का जो कानून Telecom Act, 1885 था,

उसमें spectrum के बारे में उल्लेख ही नहीं था। इस बिल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। Spectrum license प्रणाली भी सहज की गई है। पहले हमने पूर्व सरकार में spectrum के घोटालों के आंकड़े देखे हैं। पहले लाखों-करोड़ों का घोटाला होता था, लेकिन अब यह प्रणाली online की गई है। इस साल के auction में 2023 में हमने देखा है कि spectrum license के माध्यम से online करने की वजह से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। Cyber crime सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के लिए भी इस बिल में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अब users की complaints पर स्थानीय स्तर पर District Magistrate या डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश भी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, इन सभी नीतियों की वजह से जो परिणाम हुआ है, जो impact हुआ है, वह सराहनीय है। जो बीटीएस की संख्या 6 लाख, 25 हजार थी, आज वह 2023 में बढ़कर 25 लाख हो गई है।

सर, पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स डेढ़ करोड़ थे, वे अब 88 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया का सबसे fastest 5G rollout भारत देश है, मात्र 14 महीनों में 4 लाख साइट्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर्स की डिमांड होती थी, आज करीब-करीब 85 परसेंट टावर्स पूरे किए गए हैं और उनका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। लाइसेंसिंग का जो एवरेज टाइम था, वह पहले 230 दिन का था, अब वह मात्र 10 दिन की लाइसेंस प्रणाली हो चुकी है। जो टेलिकॉम सेक्टर है, वह एक उभरता हुआ तारा दिख रहा है। इस साल 3 लाख करोड़ का टर्न ओवर हो चुका है, जिसे एनुअल ग्रॉस रेश्यो कहते हैं। हमें FDI में 25 बिलियन यू.एस. डॉलर अभी तक मिल चुके हैं। अब तक 57 लाख fraudulent numbers disconnect कर दिए गए हैं। पहले इस पर काम नहीं होता था, लेकिन अब इस पर काम होता है।

मैं आदरणीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में टेलिकॉम विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, मैं दो सुझाव देना चाहूँगा। इस बिल में ओटीटी का कोई उल्लेख नहीं है। ओटीटी के लिए भी कोई रेगुलेटरी एक्ट लाना जरूरी है, कानून लाना जरूरी है। इन प्लेटफॉर्म पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, खासकर इनके कंटेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार गलत और वीभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना है। हमारे बच्चों के हाथ में आज इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी का रिमोट उनके हाथ में होता है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ओटीटी के लिए भी कोई एक्ट लाना जरूरी है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ।

दूसरा, एजुकेशन के लिए इंटरनेट अनिवार्य हो चुका है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स होते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र कोल्हापुर में एक इनीशिएटिव लिया है। हमने जिला नियोजन के फंड में से – मेरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 1,970 स्कूल्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हमने जिला नियोजन के फंड से उन सब को जोड़ने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है। हम एक छोटे से छोटे गांव के एक छोटे से छोटे स्कूल को भी इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे कि इन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तरह, शहरी स्कूल की तरह आधुनिक प्रणाली से शिक्षा मिल सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि देश के सभी जिलों में इसी तरह का इनीशिएटिव लिया जा सके, तो अच्छा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। अगर आप ऐसा कर देंगे, तो उनको बहुत लाभ होगा। ऐसा करने से

स्कूलों पर गवर्नमेंट का नियंत्रण भी आ जाएगा। गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका रीयल टाइम डेटा भी अपने हाथ में आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है, उस पर भी हम कंट्रोल रख पायेंगे।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री धनंजय भीमराव महादिक: इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये दो मांगें करता हूँ। महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, you have to give some more time because others...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; Dr. Thambidurai, you have only five minutes, because we have to pass this Bill within the stipulated time.

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to participate in the Telecommunication Bill. As many Members mentioned, the Bill seeks to replace the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Wireless Telegraphy Act 1933, which are very old Acts. This Bill provides for authorization required for the Central Government to establish and operate telecommunication networks and to provide telecommunication services. It further states that the spectrum will be auctioned through auction, which is very good. Sir, I would like to bring to the notice of the Government that this had not been followed in the case of 2G Spectrum case. Everybody knows about the scam which took place during the UPA Government; the scandal was to the tune of Rs.1,75,000 crores at that time in the UPA Government. The CAG also gave the report. The Supreme Court also directed the Government to take the necessary action on the scandal.

Sir, at that time, the UPA Government's one Cabinet Minister from DMK party and one other Member were put for some time in Tihar Jail, even though the judgement has come differently. The Government has gone on appeal because the hon. Prime Minister recently has said about the DMK party's...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am speaking about spectrum's auction, this is a part of the Bill, and I have to tell this. Sir, at that time, the DMK Party was a part of the Government, which involved that Minister; I do not want to mention the name of that Minister. He was a Cabinet Minister in the Union Cabinet and he was in jail for one year and the former Chief Minister's daughter also was in jail for six months. With that kind of scandal, *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are repeating now.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, our hon. Prime Minister has said that this scandal has to be taken up seriously. I request the Government to take it seriously because an appeal is there. At that time, the lower Court said, 'CBI has not cooperated' that is why they could not do it. But, validity was set. He waited for one year to give the judgement. I request the Government; let the CBI take it seriously. As hon. Prime Minister wishes that there should be serious action on scandals, the DMK Party is the main party which was involved in the scandals.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill, you are repeating now.

DR. M. THAMBIDURAI: This action was taken without auction. That is why I think that there should an auction. At that time, the UPA Government without auction allocated 2G Spectrum; that is why, the scandal took place. Therefore, I am requesting the hon. Minister to take some action, as it is also the vision of our Prime Minister. My party leader, Shri Edappadi K Palaniswami, former Chief Minister of Tamil Nadu, has expressed his views many times and requested the Central Government to take action and see to it as to who are involved in these scandals. And those people should not escape, that is my request. These kinds of scandals are very, very common in DMK Party. Today, also, one Minister in the State Government of Tamil Nadu has been convicted for three years. Today, a judgement has come in a corruption case. This kind of corruption is there, Sir; that is why they have gone away. If at all they had been here, they would have defended them, if they want. Why have they gone?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, come on the Bill.

* Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI: Because they knew that there are these kinds of scandals. that we are going to raise them and they will not have an answer for that. That is why they have gone away. Sir, this is a forum where they can defend themselves, if they want, but the DMK Party cannot defend itself.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, come on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: I am speaking on the Bill only, Sir. The auction is a part of the Bill. A serious scandal took place in auctions and because of that scandal, the UPA Government had gone. They only got 44 MP seats at that time in 2014, and we got 37. Mr. Modi has become the Prime Minister due to his nobility and good character. He never allows anyone to do these kinds of scams. He is the architect as to how to protect the country. Therefore, I hope that our hon. Prime Minister take it seriously and book these DMK people who are involved in these scams and also the DMK party involved in scandals. Therefore, I request them to take necessary action.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Shri G.V.L. Narasimha Rao, please be brief.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Sir, the Telecommunications Bill, 2023 primarily replaces two Acts, the archaic pre-Independence British era Acts, namely, the Indian Telegraph Act, 1885 and also the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933. This seeks to reform and simplify regulatory and licensing regime. I will highlight only a few important aspects of the Bill. One, it simplifies the license procedures. Earlier, 100 licenses were required; now, it needs one simple authorization. It needs one simple authorization, instead of 100 licenses that were required earlier. It is a major reform aimed at Ease of Doing Business which has, actually, been the leitmotif of the current Government. I would like to congratulate hon. Prime Minister Modi, hon. Minister, Shri Ashwini Vaishnav for bringing in such a major reform measure.

Sir, this requires only authorisation for three aspects, that is, providing telecom services, operating and expanding telecom networks and possessing video equipment. Any unauthorised telecom services are mentioned as an offence and are punishable by either a sentence or by a penalty up to Rs. 2 crores also for possessing of unauthorised equipment. So, the Bill clearly lays out what are the various procedures to be followed and clear punishments are also listed in this. Sir, the spectrum reform, as it was mentioned by the hon. Minister in the Lok Sabha, the

previous Indian Telegraph 1885 Act did not define spectrum in that Act. But, today this is very clearly laid out in the Bill. Auction, as has been the practice of the Government under hon. Prime Minister, Modiji, will be the principal and preferred mode for assignment of spectrum. The spectrum will be allocated administratively by a reserved price determined by the TRAI only for certain clearly-defined purposes. The spectrum will be allocated through the administrative process for metro community radio broadcasting or such public interest services. It will also be allocated for Government functions like Defence, railways, police, security, etc. and only in certain cases like backhaul and satellite services, which includes telepods, TV channels, DTH services, digital satellite news gathering, etc. So, the First Schedule of the Bill clearly lays out such satellite services where administrative mechanism will be adopted. The Bill also specifies, as another hon. Member has mentioned, and it clearly provides for a well-defined right of way framework and telecom networks have been protected from any kind of arbitrary shutdowns, sealing without any prior authorisation. So, in a way, this will, certainly, strengthen the Government's support for right of way and the telecom companies will, certainly, get a better treatment for their infrastructure and damage or interruption or interference of telecom services, the companies will be authorised. They can take their complaints to the district administration and District Magistrate and Judge will adjudicate on such matters. Certainly, this is a major relief for the telecom users. This Bill provides for user protection. The 'Don't disturb' register which may have existed for some years, this will now get the legal mandate and all telecom operators will be required to set up online grievance redressal mechanisms. Subsequently, to ensure better identity and security, anybody who uses SIMs or acquires SIMs fraudulently by stealing anyone's identity will, certainly, be made a punishable offence. Sir, the last important point is about interception. Some people have expressed certain doubts about the provisions for interception of services. But this Bill has clearly made no changes to the existing provisions for such interceptions. Whatever Supreme Court's guidelines have been framed, which have been in use since 1996, they will remain unchanged and the same safeguards and guidelines will continue. The only thing that has been made is the word 'telegraph' in the context of interception, that has been replaced with 'telecommunication'. Except that, there is no change made. Certainly, anyone who is talking of privacy and any kind of removal of safeguards, he is actually trying to mislead the public. Certainly, on the ground of the security of state, public order or national calamities or disaster, only in such cases interception will be done as per the existing provisions. Certainly, Sir, this is a major reform Bill. This will, certainly, be one which provides ease to the consumers, ease of doing business for telecom

operators; it is a great reform. I welcome the Bill. I support it and I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Minister for bringing in such a reform legislation. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri S. Niranjan Reddy. Please be brief.

SHRI S. NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. As you suggested, I will be very brief. The Bill replaces very old, archaic Acts and it is very commendable because it makes a distinction between spectrum controlling entities and spectrum using entities. It has also bundled hundred different types of services and brought them into three categories in relation to whom authorizations are required to be done. I am very happy to note that the entire spectrum process is now provided to be auctioned so that there is transparency. The limited carve out made for allotment on administrative basis is also specified. There are guidelines which specify that this will be done in some national interest and also for matters that may be concerning any interest of the State.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

The Bill provides for harmonization and reframing of spectrum frequencies and better utilization of the spectrum. It also provides for various standards to be maintained by the telecom operators. This is very important because, as we realize, the mobile phone has become the most potent machine in the pockets of every human being. A lot of data -- data being the new oil -- is transmitted through these mobile phones and specification of standards that would provide for cyber security and also maintenance of data would go a long way in the Government achieving the object of ensuring maximum data privacy for citizens and also in relation to the security interests of the country. One area of concern I had -- I would want the Government to come up with clear guidelines -- is that when it is providing for interceptions in the national interest, it is to be provided by certain guidelines that are to be notified. These guidelines are going to be in the form of administrative instructions. I would want the Government to make these guidelines to be as strict as possible. Sir, I note that there is no judicial oversight in respect of any authorization granted. The Supreme Court also notes that it is not mandatory. There are some countries which have administrative oversight through a higher ranking officer. There could be a judicial oversight. So, it is left to the wisdom of the Legislature to decide what is to be done. Since we have felt that we are going to entrust this to the administrative

oversight, I would request the hon. Minister to ensure that the guidelines and the quality of oversight committee is sufficiently strong so that it takes care of all interests of the users. The last point is, it provides for a variety of user rights and protection of users. It makes a provision for a Dispute Resolution Mechanism. I would just like to bring to the hon. Minister's notice that in Clause 30, the word used is 'the Central Government may establish or notify'. If this is established or notified at the earliest, then an online dispute resolution can happen very quickly for any user grievance. Sir, the Bill is forward looking. I compliment the Government for bringing this Bill which is very timely and my party supports the Bill entirely.

श्री अश्वनी वैष्णव: सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आज इस ऐतिहासिक दिन में दो कलोनियल माइंडसेट और कलोनियल ईरा के बिल्स को रिप्लेस करके आज के भारत की आकांक्षाओं के हिसाब से नए कानून बनाए जाएंगे। आज इस ऐतिहासिक दिन में जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल की डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए, पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साढ़े नौ वर्षों में भारत का टेलिकॉम सेक्टर एक तरीके से एक बहुत कठिनाई वाले पीरियड से बाहर निकलकर - इस सेक्टर पर घोटालों की जो एक कालिख लगती थी, वहां से बाहर निकलकर आज एक सनराइज़ सेक्टर बना है। सभापति महोदय, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, और यह बात रिकॉर्ड पर रहे कि भारत में टेलिकॉम के बेस स्टेशन्स, यानी टेलिकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स की जो संख्या 2014 में करीब 6 लाख थी, वह पिछले साढ़े नौ वर्षों में बढ़कर आज 25 लाख हो गई है। ऐसा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का टेलिकॉम सेक्टर के प्रति बहुत बड़ा विश्वास रहा है।

ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स, जो मात्र 1.5 करोड़ थे, वे आज 85 करोड़ हो गए हैं। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों के कारण दुनिया में अगर 5 जी का सबसे फास्टेस्ट रोलआउट हुआ है, तो वह भारत में हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, वे सारे मेड इन इंडिया हैं। इस रोलआउट में भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं।

सभापति महोदय, राइट ऑफ वे एप्रूवल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के कारण आज 85 परसेंट टावर्स के एप्रूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। हम कंप्यूटर पर एंटर का बटन दबाते हैं और टावर की परमिशन मिल जाती है। इसमें पहले एवरेज 230 दिन लगते थे, आज मात्र 10 दिन लगते हैं। सभापति महोदय, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं, जिनके कारण आज टेलिकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है, विश्व भर में एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। सभापति महोदय, इस बिल में इन सब रिफॉर्म्स को कंटेन्यू किया गया है और इस बिल के द्वारा इस सेक्टर में एक बहुत मेजर, सब्सटांशियल चेंज लाने का प्रयास किया गया है।

सभापति महोदय, ये 10 प्वाइंट्स हैं, जिनके ऊपर मैं संक्षेप में विषय रखूंगा। सबसे पहला प्वाइंट है, इस बिल में उपभोक्ताओं को, भारत के नागरिकों को सेंटर में रख कर, उनके हितों को ध्यान में रख कर प्रावधान किए गए हैं। किस तरह से? अगर हम देखें, तो आज प्रैक्टिकली हमारे

जीवन की हर सुविधा के लिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टिकट की बुकिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, करीब-करीब सभी चीजों के लिए हम लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं, जो मोबाइल फोन का मिसयूज करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए? वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें, तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं, ...(व्यवधान)... संयोग है, यह कोइंसिडेंस है। माननीय सभापति महोदय, कैसे उन लोगों को ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए इस बिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्युमेंट देकर फर्जी तौर पर सिम एक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस का उपयोग करता है, तो उसके लिए तीन साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से, सिम बॉक्स, जो फ्रॉड का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा कर फ्रॉड किया जाता है, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके फ्रॉड करता है, तो उसमें भी तीन साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर की स्पूफिंग करके, सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके अगर किसी दूसरे व्यक्ति को फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे, तो उसमें भी तीन साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे नागरिकों को जो ग्रीवांस होती है, उस ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका रखा गया है, वह है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉलुशन। मैं श्री रेड्डी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू भी किया जाए। इस तरह से एक आधुनिक, डिजिटल बाई डिजाइन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉलुशन मेकेनिज्म इस बिल के माध्यम से लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय है - राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम के लिए राइट ऑफ वे की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे केबल लगानी हो, ऑप्टिकल फाइबर लगानी हो। इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, चूँकि इसको हमारे यहाँ बहुत ही फेडेरल स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है, तो उनके माध्यम से एक बहुत ही सुगम राइट ऑफ वे रिजीम लाने की कोशिश की गई है।

2.00 P.M.

साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एलीमेंट रखने को कहा था, जिसमें किसी भी हाईवे के साथ, रेलवे के साथ या नहर के साथ, जहाँ पर भी एक linear infrastructure जा रहा है, उसके साथ एक Common Cable Corridor बने, जिसका उपयोग open-access basis पर हर कोई कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इसमें तीसरा एलीमेंट licence reforms का है। आज करीब-करीब 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंसेज होते हैं और उनमें इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि उनसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनको बहुत ही सहज भाव से, सरल तरीके से

ठीक करके, सारे लाइसेंस की जगह एक सिम्पल ऑथोराइजेशन वाला स्ट्रक्चर इस बिल के माध्यम से लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, चौथा रिफॉर्म स्पेक्ट्रम के बारे में लाया गया है। जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए और टेलीकॉम का जो एक कठिन दौर था, कहा जाए तो एक डार्क एज की तरह था, जिसमें 2जी के समय में बड़े-बड़े घोटाले होते थे और जो घोटाले के लिए उत्तरदायी थे - मैं उन्हें आह्वान करता हूँ कि वे अन्दर आये, ताकि आज वे अपने घोटाले के काले-कारनामों को सुनें और देश के प्रति जवाबदेही दें कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को भी, नैचुरल रिसोर्स को भी अपने काले-कारनामों में, अपने घोटाले का एक माध्यम बनाया था।

सभापति जी, आज इस बिल के माध्यम से एक बहुत ही स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि ऑक्शन से ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, except for a very well-defined, narrowly-defined category, जो कि शैड्यूल-1 में रखी गयी है। इसमें 19 आइटम्स हैं। वे आइटम्स इस तरह से हैं - पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो पब्लिक इंटररेस्ट के आइटम्स हैं, शिपिंग, मरीन, एयरक्राफ्ट और जिनके टेक्निकल कारणों की वजह से वहाँ पर ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे - सैटेलाइट का कम्युनिकेशन, backhaul का कम्युनिकेशन - उन सबका एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जाएगा।

माननीय सभापति जी, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय यह है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जो बाकी सब नैचुरल रिसोर्सेज से एकदम अलग है। स्पेक्ट्रम को समझना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यह बेसिकली फिजिक्स की एक लॉ है। जैसे दूसरे नैचुरल रिसोर्सेज होते हैं - मान लीजिए कोई माइन है, तो उस माइन को जितना उपयोग में लायेंगे, वह माइन धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी नैचुरल रिसोर्सेज या कोई भी एसेट्स होते हैं - मान लीजिए कि कोई मशीन है, तो उस मशीन को जितना उपयोग करते हैं, वह depreciate होती जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है, जिसको जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से यह दुनिया है, तब से वैसा का वैसा यह रिसोर्स है। यह बिल्कुल खत्म नहीं होता। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मा की व्याख्या रखी गयी कि वह अजर है, अमर है, वैसा ही माननीय सभापति महोदय, स्पेक्ट्रम भी एक ऐसा रिसोर्स है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। आज अगर एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग कर रही है, तो एग्जैक्टली वह उसी फॉर्म में दूसरी संस्था को दी जा सकती है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो, यह देश के लिए जरूरी है, सोसायटी के लिए जरूरी है। इसीलिए एक long term National Frequency Allocation Plan (NFAP), जिससे देश में स्पेक्ट्रम का किस तरह से डेवलपमेंट हो, भविष्य में उसका कैसे उपयोग होगा, उसका एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म रखा गया है। स्पेक्ट्रम के यूज के लिए और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाये गये हैं - re-farming, harmonization, primary and secondary assessment, taking back unutilized spectrum, technologically neutral use of spectrum - इस तरह के बहुत सारे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड रिफॉर्म्स इस बिल में लाये गये हैं।

सभापति महोदय, एक digital-by-design four tier dispute resolution system की व्यवस्था इस बिल में की गयी है। मान लीजिए कि किसी ऑथोराइजेशन में, टर्म्स एंड कंडीशंस में

कोई छोटी सी भूल हो जाए, तो उसमें कोर्ट के ऊपर बड़ा भार लादने के बजाय, एक सिम्पल तरीके से voluntary undertaking की व्यवस्था की गयी है कि छोटी सी भूल हो गई, तो वह सरकार के पास जाए कि मुझसे यह भूल हो गयी और इसकी यह पेनल्टी लीजिए और अपना काम आगे बढ़ता रहे। तो voluntary undertaking की व्यवस्था इसमें की गयी है। माननीय सभापति महोदय, इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स खत्म होंगे।

सभापति महोदय, छठा प्वाइंट यह है कि जो cyber security and protection of telecom networks है, उसके लिए इसमें एक legal framework रखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज दुनिया में जहाँ भी conflict होता है, वहाँ सबसे पहला अटैक टेलिकॉम नेटवर्क पर होता है और टेलिकॉम नेटवर्क ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो देश के लिए एक critical infrastructure है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उसको secure रखा जा सके और किसी भी तरह के हालात में टेलिकॉम सेक्टर चलता रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए। इस बिल में ये सारे प्रावधान लाए गए हैं।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने interception के विषय में कहा। Interception of telecom network एक clearly well-defined checks and balances की व्यवस्था के तहत, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत, जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, इन सभी की भूमिका clearly specified है, उस व्यवस्था के तहत चल रहा है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में टेलिकॉम नेटवर्क को लेने का जो प्रावधान आया, वह भी वर्तमान व्यवस्था में एक प्रावधान है और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि उसको strengthen किया गया है और दुनिया के सभी देशों में इस तरह की व्यवस्था होती है।

सभापति महोदय, आठवां विषय 'डिजिटल भारत निधि' के संबंध में है और यह बहुत ही गौरव की बात है। आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि भारत में telecom equipment की manufacturing और designing हो, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है कि आज भारत में designed, भारत में manufactured 8,000 करोड़ रुपये के equipments दुनिया भर में export हो रहे हैं। यह गौरव की बात है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए equipments भारत से export हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू हो रहे हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके कारण आज देश के सभी StartUps, सभी नौजवान और scientific research से जुड़े सभी व्यक्ति गौरव लेते हैं और इसीलिए 'डिजिटल भारत निधि' का विस्तार किया गया है, ताकि हरेक क्षेत्र को saturation mode में telecom services पहुँचाई जा सकें और साथ ही साथ, telecommunication की जो technology है, उसको develop करने के लिए भी 'डिजिटल भारत निधि' में से फंड्स का उपयोग किया जाए। महोदय, यह बड़े हर्ष की बात है कि ऐसे करीब 18 projects हाथ में लिए गए हैं, जो Optical Fibre Network, Optical Transport Network और 6G के Terahertz की Testbed के लिए हैं। इसमें इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनमें 'डिजिटल भारत निधि' के माध्यम से फंडिंग की गई है।

सभापति महोदय, नौवां प्वाइंट innovation and technology development के संबंध में है। Telecom में सबसे basic raw material, spectrum है। अगर spectrum है तो telecom की बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं। इसीलिए regulatory sandbox के माध्यम से एक ऐसी

व्यवस्था की गई है, जिसमें experimental basis पर किसी भी StartUp को कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए दिया जा सके। जैसे, अभी हाल ही में एक StartUp ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, जिसमें specially North-East और Leh, Ladakh को फोकस में रखकर एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो उनको experimental basis पर दिया गया था। उस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए अब इसमें regulatory sandbox की व्यवस्था की गई है। माननीय श्री रेड्डी जी या माननीय डा. पटनायक ने पूछा था कि क्या यह प्रैक्टिकल है? मैं बताना चाहूँगा कि अभी करीब 500 के आसपास ऐसे experiments चल रहे हैं, जिनमें experimental licence के माध्यम से एक regulatory sandbox जैसी व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही effective है और बहुत अच्छे से चल रही है। जब यह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसको legal backing भी मिल जाएगी।

सभापति महोदय, अब मैं अंतिम विषय पर आता हूँ। यह एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें आज करीब 40 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस सेक्टर में किसी भी तरह से कोई disruption न हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इतना बड़ा reform आए और उसमें कोई disruption न हो, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक-एक बिल, एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को इस तरह से रखना है कि पूरे के पूरे सेक्टर में smoothly reform हो, बिना किसी disruption के reform हो।

सभापति महोदय, यह बहुत ही comprehensive Bill है। ये बहुत ही बड़े structural reforms प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के vision से आए हैं और telecom sector में पुराने घोटाले वाले लोगों की जो legacy थी, उस legacy को छोड़कर इसको एक sunrise sector बनाने की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होगी, इसलिए मैं इस हाउस से निवेदन करूँगा कि इसको unanimously pass किया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 62 were added to the Bill.

The First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

MR. CHAIRMAN: Shri Ashwini Vaishnaw to move that the Bill be passed.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, Bills for consideration and passing -- The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023, to be discussed together. ...*(Interruptions)*... Shri Amit Shah to move the motion for consideration of the following Bills as passed by Lok Sabha. ...*(Interruptions)*... The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and The Bharatiya Sakshya Bill, 2023. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

**The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023,
The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
&
The Bharatiya Sakshya Bill, 2023**

गृह मंत्री ; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ:

"कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

The questions were proposed.